न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1616

1. रामेश्वर पुत्र रूडाराम,
2. छाजू पुत्र रूडाराम,
3. सुगाराम पुत्र नाथूराम,
4. बंशी पुत्र बद्री,
5. सीताराम पुत्र भूरा,
6. रामसिंह पुत्र भूरा, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम करणी सागर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री बंधीधर जाट, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

दिनांकः 24.11.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2017 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा रास्ते से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम करणी सागर पटवार मण्डल नाथावाला स्कूल से करणी सागर ग्राम में आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 531/2, 605, 533, 562, 570, 571, 572, 577, 703, 704, 701, 612/3, 707, 610/1, 612/4, 531/1, 611/1, 612/2, 610/2, 606, 609, 612/1, 611/2, 706, 708, 709, 677, 678, 698, 699, 681, 696, 700, 680, 532, 611/3, 673, 674, 530, 702, 561, 694, 695, 679, 692, 693, 659, के बाबत हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.01.2017 को फर्द मौका रिपोर्ट रास्ता सम्बन्धी समस्याओं बाबत प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 02.03.2017 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहाँ दर्ज की गई तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, बिना नोटिस जारी किये दिनांक 10.05.2017 को कैम्प नाथावाला में अपीलाधीन निर्णय पारित किये गया जिससे पीडित होकर यह अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपीलान्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 611/3 अपीलान्ट संख्या 2 के खसरा नम्बर 612/3, अपीलान्ट संख्या 3 के खसरा नम्बर 610/1, 612/4, अपीलान्ट संख्या 4 के खसरा नम्बर 610/2, खसरा नम्बर 611/1, खसरा नम्बर 612/2 तथा अपीलान्ट संख्या 5 व 6 के खसरा नम्बर 611/2, खसरा नम्बर 612/1 के बाबत पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अपीलान्ट को नोटिस जारी अवश्य किये गये परन्तु उक्त नोटिस

P.T.O.

अपीलान्ट को प्राप्त ही नही हुये। उक्त अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये ही पारित किया गया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश बिना नोटिस जारी किये कैम्प नाथावाला में पारित किया गया परन्तु कैम्प कोर्ट में कोई भी आदेश पक्षकारान की सहमति से व उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पारित किया गया है, जो कैम्प कोर्ट प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में कही पर भी रास्ते की लम्बाई/चौडाई नही बताई गई। हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि मौके पर अपीलान्ट के खसरा नम्बरान में किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नही है, मौके पर खसरा नम्बर 609, 605 में लगभग 12–13 फीट सड़क निर्माण है तथा अपीलान्ट की भूमि की सीमा पर तारबंदी कर फसल खडी थी। कभी भी अपीलान्ट की भूमि रास्ते के उपयोग में नही आई है, बिना मौके पर गये ही मनमर्जी से अधीनस्थ न्यायालय में मनमर्जी रिपोर्ट पेश की गई जिस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया तथा जो मौके पर रास्ता चालू है। वह अपीलान्ट की भूमि का स्तर तीन फीट नीचे है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होनें आगे कथन किया है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बिना मौके पर गये ही एक साईक्लोस्टाईल तरीके से पूर्व से तैयार प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की भूमि पर किसी प्रकार से सड़क निर्माण नही है, ना ही अपीलान्ट की भूमि में किसी भी रूप से सार्वजनिक रास्ता है। केवल व्यक्ति विशेष को लाभ देने की नियत से उक्त आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 16.08.2025 को पटवारी हल्का मौके पर आने पर जानकारी दी गई तथा रास्ते की नाप जोख करने लगे। अपीलान्ट द्वारा नाप–जोख का कारण पूछे जाने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दी। इससे पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 20.08.2025 को प्राप्त कर अपील जानकारी से व अधिवक्ता से कानूनी राय व सलाह लेकर अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है। जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व विभाग (ग्रुप–6) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौका देखने के उपरान्त चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने सम्बन्धी में प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 पारित किया गया है।

जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 27.08.2025 को विलम्ब से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सूचना/नोटिस दिये ही प्रकरण दिनांक 10.05.2017 को कैम्प कोर्ट नाथावाला में नियत किया गया है। अपीलार्थीगण को कैम्प कोर्ट के नोटिस जारी होना नही पाया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 10.05.2017 को ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केवल पैराकार सरकार की बहस ही सुनकर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों एवं लोक अदालत की भावना के विपरीत होने के कारण उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 10.05.2017 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर व आवश्यकता एवं मौके के अनुसार (12–13 फिट) चौड़ाई रखते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(पूनम)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।